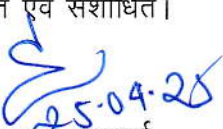


न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)

आदेश

अनुमति वाद संख्या 21/2022-23

केश का प्रकार - सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी										
	आवेदक/आवेदिका आमुस केरकेट्टा, पिता-स्व० जिग्गा केरकेट्टा जाति-मुण्डा ग्राम-सुरहू थाना-कामडारा जिला-गुमला (झारखण्ड) स्थित थाना संख्या 101 मौजा-सुरहू, खाता संख्या 106 प्लॉट संख्या 4344 कुल रकबा 2.83 ए० में से 0.10 एकड़ भूमि को क्रेता संतोषी कुमारी, पिता- स्व० एतवा नाग जाति-मुण्डा ग्राम-सरिता थाना-कामडारा जिला-गुमला के साथ बिक्री/वसीयत/बक्सीत करने के लिए छोटानागरपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>सुरहू</td><td>101</td><td>106</td><td>4344</td><td>2.83 ए० में से 0.10 ए०</td></tr></table> प्लॉट संख्या 4344 की चौहदी उत्तर में – सड़क दक्षिण में– निज बिक्रेता पूरब में– निज बिक्रेता पश्चिम में– निज बिक्रेता जमीन बिक्रेता की विवरणी आमुस केरकेट्टा पिता-स्व० जिग्गा केरकेट्टा जाति-मुण्डा ग्राम-सुरहू थाना- कामडारा जिला-गुमला (झारखण्ड)। जमीन क्रेता की विवरणी संतोषी कुमारी, पिता-स्व० एतवा नाग जाति-मुण्डा ग्राम- सरिता थाना-कामडारा जिला-गुमला (झारखण्ड)। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करने के बावजूद भी उक्त वाद में कोई अभिरुची नहीं लेने के कारण बिना किसी गुण-दोष के वाद को समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)  भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया(गुमला)	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	सुरहू	101	106	4344	2.83 ए० में से 0.10 ए०	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा								
सुरहू	101	106	4344	2.83 ए० में से 0.10 ए०								